वाद लिखे से बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ
प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब हों। पत्रावली वास्ते जवाब
दि. 5-2-21 को पेश हों

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा

5-2-21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी काले खां पुत्र
[illegible] श्रीमति केशरदेवी [illegible] 1/2
[illegible] द्वारा [illegible] की जाने पर
[illegible] 275-276 के बारा के. 19 में दर्ज जाति
प्रमाण के [illegible] दर्ज करवाया गया है।
प्रकरण में भूमिधारी [illegible] सीमलवाड़ा
[illegible] रिपोर्ट। [illegible] पूर्व में [illegible]
जाति [illegible] की परिस्थिति में [illegible]
अधि. 1955 की धारा 42 B का उल्लंघन
[illegible] होता है।
अतः जाति [illegible] को [illegible]
[illegible] उचित है। [illegible] भी [illegible]
आदेश की पालना हेतु [illegible]
[illegible] के अनुसार
[illegible] किया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा